167

राज्य योजना (सामान्य)
संख्याः /I/2011–3(I)/25/2010

प्रेषक,

एम0एम0 सेमवाल
अनु सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उरेडा
देहरादून

ऊर्जा विभाग

देहरादूनःदिनांक 23 जून, 2011

विषयः– वित्तीय वर्ष 2011–12 में उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII (1)/2011, दिनांक 31.03.2011 एवं आपके पत्र संख्याः296/उरेडा/9–1(121) ब0आ0रा0यो0/11 दिनांक 9–5–2011के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को वित्तीय वर्ष 2011–12 में संलग्न विवरणानुसार रू0 23.09 लाख (रू0 तेईस लाख नौ हजार मात्र) की धनराशि आयोजनागत में अनुदान/सब्सिडी के रूप में तद्स्थान में वर्णित लेखाशीर्षकों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– योजनाओं के लिए आबंटित धनराशि तभी एवं उसी मात्रा में आहरित कर व्यय की जायेगी जहां जैसा राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अनुदान/सब्सिडी दिये जाने को अनुमन्य किया गया हो, अन्यथा धनराशि आहरित/व्यय नहीं की जायेगी।

2– स्वीकृत धनराशि का बिल निदेशक, उरेडा द्वारा तैयार कर सहायक विद्युत निरीक्षक, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरित के उपरान्त देहरादून कोषागार में आवश्यकतानुसार ही धनराशि का आहरण किया जायेगा। तदोपरान्त निदेशक, उरेडा द्वारा सम्बन्धित जिलों को धनराशि प्रेषित की जायेगी एवं जनपदवार प्रेषित की गई धनराशि की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। धनराशि आहरण कर उसे 31–3–2012 तक व्यय कर लिया जायेगा एवं अनावश्यक रूप से धनराशि को बैंकों में पार्किंग कर नहीं रखा जायेगा।

3– व्यय करने से पूर्व बजट मैन्युअल, फाईनैन्शियल हैण्डबुक, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, शासन के मितव्ययता विषयक आदेश व तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र, योजनावार व्यय विवरण एवं योजनाओं की वित्तीय/भौतिक प्रगति आदि का विवरण यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा। केन्द्र पोषित योजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार एवं राज्य सरकार को भी समयबद्ध रूप से प्रेषित किया जायेगा।

5– व्यय उन्हीं मदों से किया जाएगा जिनके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

6– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित विभागीय कार्यक्रम प्रभारी/अधिकारी तथा निर्माण एजेन्सी/सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

7– योजनान्तर्गत सम्बन्धित योजनाओं/कार्यों हेतु केन्द्रांश की प्राप्ति भी समय से कर ली जायेगी तथा योजनो/कार्यवार प्राप्त केन्द्रांश का विवरण तथा तद्क्रम में प्रत्येक योजना/कार्यवार कुल लागत/ व्यय धनराशि के सापेक्ष व्यय किये गये केन्द्रांश व राज्यांश का विवरण भी शासन में वित्त विभाग को समय से प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

8– उक्त योजनाओं पर उक्त धनराशि राज्यांश के विपरीत अवमुक्त की जा रही है और अवमुक्त राज्यांश तब ही व्यय किया जाएगा, जब केन्द्र सरकार द्वारा अपने अंश के विपरीत धनराशि अवमुक्त कर देगी अथवा स्वीकृत कर देगी। केन्द्र पोषित योजनाओं में धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा। जिन योजनाओं में केन्द्रांश प्राप्त होता है उनके सापेक्ष केन्द्रांश अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

9– स्वीकृत की जा रही धनराशि का एक मुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।

10– संलग्न विवरणानुसार लेखा शीर्षकों के अंतर्गत स्वीकृत की गई धनराशि व्यय करते समय यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि जल विद्युत की रिनोवेशन आदि योजनाओं में लाभार्थी अंश की व्यवस्था कर ली गई हो तथा राज्यांश सहित सभी स्रोतों से व्यय धनराशि परिव्यय एवं लागत की सीमान्तर्गत हो।

14–इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–21 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2810–वैकल्पिक ऊर्जा–आयोजनागत की संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जाएगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–202/XXVII(2)/2011 दिनांक 20 जून, 2011 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव।

संख्याः 827/I/2011–3(1)/ 25/2010,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखंड, देहरादून।
2– जिलाधिकारी, देहरादून।
3– कोषाधिकारी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–2/नियोजन विभाग।
5– सहायक विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, देहरादून।
6– सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
7– सचिव, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, उत्तराखंड शासन/एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
8– गार्ड फाईल।

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव।

शासनादेश सं0 827 I/2011–03(1)/25/2010, दिनांक का संलग्नक

अनुदान संख्या 21, 2011–2012 (हजार रूपये में)

लेखा शीर्षक	बजट व्यवस्था	अवमुक्त की जा रही धनराशि
2810–वैकल्पिक ऊर्जा 01–बायो ऊर्जा–103–जैवपिण्ड 03– बायोमास आधारित योजनाओं हेतु उरेडा को सहायता 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	950	316
2810–वैकल्पिक ऊर्जा 01– बायो ऊर्जा–103–जैवपिण्ड 03– बायोमास आधारित योजनाओं हेतु उरेडा को सहायता 50– सब्सिडी	80	26
2810–वैकल्पिक ऊर्जा–02–सोलर इनर्जी–101–सोलर थर्मल कार्यक्रम– 03–सोलर इनर्जी कार्यक्रम हेतु उरेडा को सहायता 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	900	300
2810–वैकल्पिक ऊर्जा–02–सोलर इनर्जी–101–सोलर थर्मल कार्यक्रम– 03–सोलर इनर्जी कार्यक्रम हेतु उरेडा को सहायता 50–सब्सिडी	93	31
2810–वैकल्पिक ऊर्जा–02–सोलर इनर्जी–102–सोलर फोटोवोल्टाईक कार्यक्रम–03–सोलर फोटोवोल्टाईक कार्यक्रम हेतु उरेडा को सहायता– 01–उरेडा के लिए अनुदान– 20–सहायक अनुदान/ अंशदान /राज सहायता	150	50
2810–वैकल्पिक ऊर्जा–02–सोलर इनर्जी–102–सोलर फोटोवोल्टाईक कार्यक्रम–03–सोलर फोटोवोल्टाईक कार्यक्रम हेतु उरेडा को सहायता–01–उरेडा के लिए अनुदान–50–सब्सिडी	1500	500
2810–वैकल्पिक ऊर्जा–60–ऊर्जा के अन्य स्रोत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाऐं–01– लघु जल विद्युत एवं सुधारित घराट योजना–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता	2200	733
2810–वैकल्पिक ऊर्जा–60–ऊर्जा के अन्य स्रोत–800–अन्य व्यय–01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाऐं– 01–लघु जल विद्युत एवं सुधारित घराट योजना–50–सब्सिडी	60	20
2810–वैकल्पिक ऊर्जा–60–ऊर्जा के अन्य स्रोत–800–अन्य व्यय–03– प्रशासनिक व्ययं–01–उरेडा के लिए अनुदान–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता	1000	333
योगः–	6933	2309

(रूपये तेईस लाख नौ हजार मात्र)

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव